

महोदय जी,  
 ग्राम- भिरघारीपुरा के खाता नं. - 41, 91 में  
 नवला पुत्र का वातिका दर्ज है। अतः नवला पुत्र  
 के नवला के बजाय नवलराम है। अतः ग्राम- भिरघारीपुरा  
 प.स. मोरठ के खाता नं. - 41, 91 में नवला पुत्र का वातिका  
 के स्थान पर नवलराम पुत्र का वातिका क्रिया जाना उचित

*रिपोर्ट*  
 R.S. सनवाल

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

*P. S. S.*  
 पटवारी,  
 पटवार मण्डल: सोनी  
 तह. मावली, जिला-उदयपुर

रिपोर्ट पटवारी | मू. अं. निरीक्षक अनुसार नवला पुत्र  
 वातिका के बजाय नवलराम पुत्र शब्दा बंधारा (वाल)  
 क्रिया जाना उचित है।

1716  
 30-10-2025

*मीना*  
 उपतहसीलदार  
 सनवाल

क्र.सं. → ००३/२५ आदेश दिनांक - 30/10/25

उप. तहसीलदार सनवाल की अनुसंधान के अनुसार  
 ग्राम- भिरघारीपुरा प.स. मोरठ के खाता नं. - 41, 91 में  
 नवला पुत्र का नाम नवलराम पुत्र का के बजाय  
 नवलराम पुत्र का शब्दा बंधारा दर्ज करने  
 की व्यवस्था उदात्त की जाती है।



*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (एस.डी.ओ.) मावली  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मावली, जिला उदयपुर